



सत्यमेव जयते
परिपत्र (प्रशासन)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए इस कार्यालय के इच्छुक/पात्र नियमित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (वाणिज्यिक) जिन्होंने सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के सवर्ग में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

प्रतिनियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें:

1. प्रतिनियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार, **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग** तथा मुख्यालय कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित होंगी।
2. उपरोक्त प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों को आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंडों की पूर्ति सुनिश्चित करना होगा।
3. केवल नियमित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा अथवा परिवीक्षा (Probation) पर अधिकारियों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. पिछले 10 वर्ष में से सात APAR outstanding होने चाहिए तथा जिन अधिकारियों की 07 वर्ष से कम सेवा काल है उनके सभी APAR outstanding होने चाहिए।
5. 'Spouse Grounds' पर प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों को अपने जीवनसाथी के रोजगार विवरण/रोजगार के प्रमाण के साथ स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।
6. इच्छुक/योग्य सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (वाणिज्यिक) प्रतिनियुक्ति के लिए अपने आवेदन पूर्ण बायोडाटा के साथ निर्धारित प्रोफार्मा (सलंग्र) में दिनांक **14-11-2024** तक प्रेषित कर सकते हैं।

अपेक्षित योग्यता नहीं रखने वाले या निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं होने वाले अधिकारियों तथा जिन अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड उत्कृष्ट नहीं है के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन अग्रेषित करने के संबंध में अंतिम निर्णय अधिकारी की उपयुक्तता व प्रशासनिक सुविधा के अधीन होगा।

सलंग्र उपरोक्त:

प्राधिकार: वरिष्ठ उप महालेखाकार प्रशासन आदेश दिनांक: 07.11.2024

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

संख्या:- प्रशासन/ले0प0/प्रतिनियुक्ति/आई0ए0एंड0डी0/2024-25/2678-80 दिनांक: 07.11.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:

- i. सचिव प्रधान महालेखाकार
- ii. निजी सहायक, सभी समूह अधिकारी
- iii. संयुक्त ई-मेल (cag-all-audithp@lsmgr.cag.gov.in)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)
07/11